भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 450
दिनांक 03.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में रहने वाले भारतीयों का डाटाबेस

450. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
श्री कनकमल कटारा:
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री अरुण सावः
श्री देवजी पटेल:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री विजय बघेल:
श्री मोहन मंडावी:
श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश में काम करते समय कार्यस्थल पर मारे गए भारतीय नागरिकों के हरियाणा और राजस्थान सहित राज्य–वार आंकडे हैं और यदि नहीं, तो आपातकालीन उपयोग हेतु ऐसे डाटाबेस को तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ख) क्या सरकार विदेशों में कार्यस्थल पर भारतीयों की मृत्यु की जांच कराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है और देश–वार कितने मामले हल किए गए और लंबित हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कुछ खाड़ी देशों में जबरन मजदूरी का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान अवैध वीजा पर भारतीयों को विदेश भेजने के सम्बन्ध में कितने एजेंटों की पहचान की गई है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क से ग) विदेशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु के मामलों को भारतीय मिशनों/केन्द्रों में पंजीकृत किया जाता है, इसलिए उनका रखरखाव संबंधित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

किसी भारतीय कामगार की मृत्यु का मामला सामने आने पर संबंधित भारतीय मिशन भारतीय नागरिक की मृत्यु की उचित जांच करने के लिए स्थानीय सरकार से तत्काल संपर्क करता है। ऐसे मामलों में मृतक के परिवार के सदस्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर

मृत्यु मुआवजे का निपटान प्रायोजकों और बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में, परिवार से प्राप्त अनुरोध, यदि कोई, के अनुसार मिशन हमारे सूचीबद्ध वकीलों के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, कई देशों में मेजबान देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार ऐसे मामलों को सीधे नियोक्ताओं और मृतकों के परिवारों के बीच निपटाया जाता है। सरकार परिवार के अनुरोध के अनुसार पार्थिव शरीर को वापस लाने या स्थानीय देह–संस्कार की सुविधा भी प्रदान करती है। इस पर होने वाला व्यय का वहन सरकार द्वारा व्यक्ति की माली हालत के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना के रूप में प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख का बीमा कवर और 275/- रुपये के नाममात्र बीमा प्रीमियम पर 2 साल के लिए या 375/- रुपये के प्रीमियम पर 3 साल के लिए अन्य लाभ प्रदान करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई शिकायतों की देश-वार संख्या अनुबंध क पर दी गई है।

(ङ) और (च) भारत सरकार भारत से केवल वैधानिक प्रवासन को ही प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों को सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के लाभों के बारे में बताने और नकली या अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के संभावित तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। अवैध एजेंटों के बारे में जानकारी भी ई-माइग्रेट पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड और अपडेट की जाती है।

मंत्रालय समय-समय पर फर्जी जॉब रैकेटों के बारे में परामर्शी, मीडिया ब्रीफिंग और ट्वीट जारी करता रहता है। विदेशों में संबंधित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा भी इस तरह के प्रचार–प्रसार अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

जब भी अवैध एजेंटों द्वारा श्रमिकों के शोषण के मामलों की जानकारी प्राप्त होती है, संबंधित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के साथ-साथ भारत में प्रवासी कार्यालयों के संरक्षक द्वारा त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाती है। अब तक 2331 अवैध एजेंटों को ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है। मौजूदा कानूनों के अनुसार अवैध/नकली एजेंटों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इन शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस अधिकारियों को भी भेजा जाता है।

*****

		वर्ष **2020** के दौरान	वर्ष **2021** के दौरान	वर्ष **2022** के दौरान
क्र. सं.	देश	निपटाई गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें
1	अफ़ग़ानिस्तान	8	8	2
2	अल्जीरिया	9	3	2
3	अंगोला	4	3	6
4	अर्जेंटीना	1	0	0
5	आर्मीनिया	18	7	8
6	ऑस्ट्रेलिया	116	40	66
7	ऑस्ट्रिया	4	1	2
8	अज़रबैजान	3	0	1
9	बहरीन	122	79	89
10	बांग्लादेश	22	19	17
11	बेलारूस	2	0	3
12	बेल्जियम	7	5	8
13	भूटान	2	2	2
14	बोत्सवाना	0	1	1
15	ब्राज़ील	7	2	3
16	ब्रूनेई दारुस्सलाम	14	8	1
17	बुल्गारिया	0	0	0
18	बुर्किना फासो	1	1	2
19	कंबोडिया	11	11	31
20	कैमरून	0	8	2
21	कनाडा	186	96	123
22	चिली	0	0	2
23	चीन	51	22	11
24	कोलंबिया	2	3	1
25	कोट डी आइवरी	11	9	7
26	क्रोएशिया	0	4	2
27	क्यूबा	1	0	0
28	साइप्रस	4	3	7
29	चेक गणराज्य	8	0	0
30	कोरिया जन लोकतांत्रिक गणराज्य	1	0	0
31	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	6	9	7
32	डेनमार्क	6	3	2
33	ज़िबूती	0	2	0
34	डोमिनिकन गणराज्य	0	0	0
35	मिस्र	5	0	2
36	इक्वाटोरियल गिनी	1	1	0
37	इरिट्रिया	0	1	0
38	इथोपिया	13	12	5
39	फ़िजी	6	5	0

40	फिनलैंड	4	3	3
41	फ्रांस	35	24	23
42	जर्मनी	46	49	39
43	घाना	18	6	2
44	यूनान	1	2	4
45	ग्वाटेमाला	1	2	0
46	गिनी	0	1	1
47	गुयाना	2	0	2
48	हंगरी	8	2	1
49	आइसलैंड	2	2	0
50	इंडोनेशिया	15	13	15
51	ईरान - बंदर अब्बास	31	0	0
52	ईरान	29	13	10
53	इराक	38	25	18
54	आयरलैंड	4	2	10
55	इजराइल	7	8	5
56	इटली	46	27	12
57	जमैका	3	6	1
58	जापान	58	4	3
59	जॉर्डन	13	6	4
60	कजाखस्तान	14	2	6
61	केन्या	23	16	9
62	कुवैत	1493	1679	212
63	किर्गिज़स्तान	61	2	2
64	लाओ पीडीआर	3	1	0
65	लेबनान	11	2	4
66	लीबिया	9	2	2
67	मेडागास्कर	6	0	0
68	मालावी	3	1	2
69	मलेशिया	473	356	213
70	मालदीव	21	20	38
71	माले	1	3	1
72	माल्टा	1	2	5
73	मॉरीशस	5	5	0
74	मेक्सिको	3	3	1
75	मोरक्को	0	0	1
76	मोजाम्बिक	9	3	6
77	म्यांमार	8	4	48
78	नामिबिया	0	0	0
79	नेपाल	18	10	10
80	नीदरलैंड	18	8	11
81	न्यूज़ीलैंड	14	18	48
82	नाइजर	1	0	0
83	नाइजीरिया	32	57	22

84	नॉर्वे	1	8	0
85	ओमान	357	213	243
86	पाकिस्तान	143	10	3
87	पनामा	1	0	0
88	पापुआ न्यू गिनी	1	0	2
89	पेरू	2	0	0
90	फिलिपींस	51	19	17
91	पोलैंड	13	14	15
92	पुर्तगाल	12	9	17
93	कतर	2382	1412	360
94	कोरिया गणराज्य	6	8	6
95	रोमानिया	14	6	5
96	रूसी परिसंघ	45	17	6
97	रवांडा	1	1	4
98	साओ टोम और प्रिंसिपे	0	0	2
99	सऊदी अरब	3257	1367	1064
100	सेनेगल	3	4	4
101	सर्बिया	3	3	2
102	सेशल्स	2	6	7
103	सियरा लिओन	0	1	6
104	सिंगापुर	84	63	77
105	स्लोवाकिया	0	0	1
106	स्लोवेनिया	2	0	0
107	दक्षिण अफ्रीका	20	11	3
108	दक्षिण सूडान	0	1	2
109	स्पेन	11	7	13
110	श्रीलंका	34	20	9
111	सूडान	10	8	2
112	सूरीनाम	2	1	0
113	स्वीडन	15	3	9
114	स्विट्ज़रलैंड	4	4	3
115	सीरिया	2	0	0
116	ताइवान	5	4	2
117	तजाकिस्तान	4	0	1
118	तंजानिया	10	11	10
119	थाईलैंड - बैंकॉक	23	14	42
120	कांगो गणराज्य	0	2	2
121	टोगो - लोम	0	2	0
122	त्रिनिदाद और टोबैगो	0	1	0
123	ट्यूनीशिया	1	0	1
124	तुर्की	4	8	6
125	तुर्कमेनिस्तान	0	2	0
126	अमेरिका	382	258	211
127	युगांडा	8	10	8

128	यूक्रेन	32	17	91
129	संयुक्त अरब अमीरात	1479	594	588
130	यूनाइटेड किंगडम	132	50	96
131	उज़्बेकिस्तान	3	0	2
132	वेनेजुएला	1	1	1
133	वियतनाम	11	2	3
134	यमन	6	5	7
135	जाम्बिया	7	5	1
136	जिम्बाब्वे	2	0	0
	कुल	**11828**	**6959**	**4163**

*****